

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुशासन

लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2006

विषय :- एक०४०८०० मेमोरियल परिषद् स्कूल मानसपुरी डिरिफरन्सर इन्साइटर्स लखनऊ को
सी०४०००८००१० नईदिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका व्याप्त आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निवेदा
हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०४०००८००१० नईदिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को विभिन्न विभिन्न प्रतिवर्थों के अधीन आपत्ति नहीं
है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति ने शिक्षा निवेदक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी
वर्षों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराधिकारी विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
भूलक्ष से अधिक भूलक्ष नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि
पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
संबंधित सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एज्यूकेशन नईदिल्ली/कौसिल आफ दि
इण्डियन स्कूल सटीफिकेट इन्डियनिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस
परीक्षा परिषदों से संबंधित प्राप्त होने की तिथि से उत्तराधिकारी विद्यालय का
परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त
हो जायेगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतार कर्मचारियों का राजकीय सडायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम
वेतनमान तथा अन्य भूते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा सभव-समव पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका वापन करेंगी ।
- (8) विद्यालय का टिकाड़ निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सभव यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की भूक या विविलता घरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र तापस से लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।

प०स०-२०५३(१) / 15-७-२००६ उद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक नस्तवादी देतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2- मण्डसीय समुक्त शिक्षा निदेशक,लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, एचएस० मेमोरियल पंजिक स्कूल मानसपुरी हाईटरनगर इस्पाइलगंज लखनऊ ।
- 6- गाड़ बुक ।

आज्ञा से,

Bh
(बाबू राम)
अनु सचिव ।